

Volume - 5 | Issue - 9 | March - 2016



GOLDEN RESEARCH THOUGHTS

International Recognition Multidisciplinary Research Journal

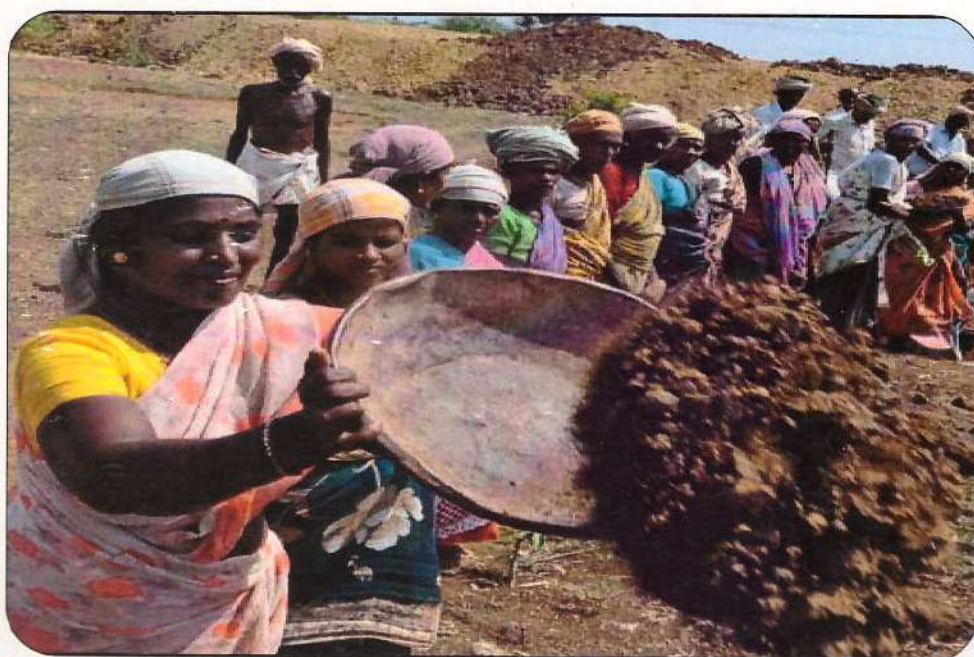
Impact Factor

3.4052(UIF)

ISSN

2231-5063

शासकीय नीति मनरेगा का सामाजिक सम्बन्धों पर प्रभाव



Research by



रविदास अहिरवार

रविदास अहिरवार

शोधार्थी, समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय सागर (म.प्र.)

सारांश :- अन्य विकासशील देशों की ही तरह आजादी के बाद भारत में भी आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए कई वैकासिक योजनाएँ तैयार की गईं। किन्तु डॉ. मिहिर शाह अपनी पुस्तक एनआरजीएस की भूमिका में लिखते... 'पृष्ठ क्र. - 15

Editor - in - Chief - Dr. T. N. SHINDE



Golden Research Thoughts

International Recognition Multidisciplinary Research Journal

ISSN NO:-2231-5063

Impact Factor : 3.4052(UIF)

Vol.- 5, Issue - 9, March -2016



Sr. No	Title And Name Of The Author (S)	Page No
1	नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादन : निरीक्षणात्मक अभ्यास शितल वसंतराव सोनजे	1
2	मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन व्यवस्था – एक विश्लेषणात्मक अध्ययन असलम सईद	7
3	हिन्दी साहित्यकारों के अनुसार :- मेक इन हरियाणा –प्रगति के पथ सुमन यादव	12
4	शासकीय नीति मनरेगा का सामाजिक सम्बन्धों पर प्रभाव रविदास अहिरवार	15
5	Problems Of Agricultural Credit In India: Suggested Remedies Sangappa V. Mamanshetty	20
6	वर्तमान पारिवारिक संबंधों में संत साहित्य की उपादेयता का अध्ययन सत्येन्द्र प्रकाश	25
7	गृहितकृत्य(Hypothesis) सावंत पी. एल.	29
8	Tools To Analyze Academic Anxiety, Achievement Skills & Level Of Creativity. Shrikant B.Chavan and S. S. Rane	34

नरेगा अधिनियम :-

भारत सरकार की महात्वाकांक्षी योजना नरेगा (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) जो वर्तमान समय में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के नाम से जानी जा रही है, दिनांक २५ अगस्त २००५ को एक कानून के रूप में पारित हुआ इस कानून के तहत भारत के जम्मू कश्मीर को छोड़कर प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में १०० दिनों का रोजगार देने की कानूनी गारंटी देता है भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकार के साथ मिलकर इस योजना का क्रियान्वित करेगा।

क्रियान्वयन की स्थिति:-

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना देश में २ फरवरी वर्ष २००६-२००७ के दौरान यह योजना की शुरुआत देश के २०० जिलों में प्रयोग के तौर पर लागू की गई।

वर्ष २००७-२००८ में १३० जिलों को और इस योजना में शामिल किया गया। अप्रैल २००८ में नरेगा का विस्तार ३४ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के सभी ६१४ जिलों एवं ६०६६ ब्लॉकों और २.६५ लाख ग्राम पंचायतों में इस योजना के तहत कार्य शुरू कराये गये।

इस योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में जन सहभागिता, पारदर्शिता, अशक्तजनों व महिलाओं के लिये भी सम्मिलित किया गया है। वस्तुतः यह योजना देश के ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाले प्रत्येक नागरिक को उसके जीवन स्तर में विकास के अवसर की गारंटी देती है।

यह अधिनियम उन ग्रामीण परिवारों के लिये है, जो स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं। उन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम १०० दिनों की मजदूरी की गारंटी वाला रोजगार प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार ने ली है। ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

नरेगा का लाभ लेने के लिये ग्रामीण परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य एक आवेदन में अपना नाम, पता, आयु, एक फोटोग्राफ के साथ ग्राम पंचायत के पदस्थ अधिकारी के पास जमा कर सकता है, ग्राम पंचायत की यह जिम्मेदारी होगी कि वह उन आवेदनों की जाँच एक निश्चित अवधि में करके सम्बन्धित व्यक्ति को जॉब कार्ड जारी करेगा और १४ दिनों के अन्दर एवं ग्राम पंचायत के ५ कि.मी. के अन्दर उसको रोजगार उपलब्ध करायेगा,

रोजगार की माँग करने की दिनांक से अगर ग्राम पंचायत उस व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाती तो वह व्यक्ति अपने रोजगार भत्ते की माँग कर सकता है, और इस योजना के माध्यम से उसको राज्य सरकार भत्ता देगी,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अब महात्मा गाँधी के नाम पर

नई दिल्ली : सरकार ने शुक्रवार ०२ अक्टूबर २००६ को गांधी जयंती के अवसर पर देश के सबसे बड़ी और महात्वाकांक्षी परियोजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रख दिया।

इस योजना का नाम गांधी जी के साथ जोड़ने का मतलब है कि इस पूरी योजना में मशीनीकरण पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाया गया है और शायद गांधी भी इसी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे जो हमेशा मशीनीकरण का विरोध करते थे और चाहते थे कि प्रत्येक कार्य व्यक्ति करे न कि मशीन। जिससे व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ और रोजगार मिलता रहे।

गांधीवादी विचारधारा की यह योजना सम्पूर्ण भारत में एक सामाजिक जागरूकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है जब गांधी की इच्छा के अनुरूप इस योजना का संचालन हो और मशीन की जगह व्यक्ति को महत्व दिया जाये। तभी एक आत्मनिर्भर समाज का निर्माण होगा।

सामाजिक परिवर्तन की सैद्धान्तिक व्याख्या सबसे पहले समाजशास्त्र के जनक विचारकों ने की थी। दुर्खीम ने पुरातन औद्योगिक समाज की तुलना औद्योगिक समाज से करते हुए सामाजिक परिवर्तन का मूल्यांकन किया। जबकि कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के संदर्भ में की जबकि इसके पूर्व हीगल ने सामाजिक परिवर्तन के रूप में परिवर्तन चेतना की व्याख्या की थी।

डॉ. श्यामाचरण दुबे ने भारतीय समाज के सन्दर्भ में सामाजिक सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या अण्डर स्ट्रेडिंग चेंज में की है उनका कहना है कि सामाजिक परिवर्तन संस्कृति और मानव व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है।

वेतन भुगतान:-

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में काम करने वाले प्रत्येक मजदूर को उसके कार्य का भुगतान सम्बन्धित अधिनियम १९४८ के प्रावधानों के अनुसार वेतन मिलेगा अनुसूची द्व अनुच्छेद ६ में किसी भी सूरत में मजदूरों के निर्धारित मजदूरी से कम का भुगतान नहीं किया जायेगा। अधिनियम १९७६ के प्रावधानों के तहत पुरुष/महिला को समान वेतन दिया जायेगा। वेतन भुगतान में १५ दिन से अधिक समय लगने पर मजदूर अपने मुआवजे की माँग अधिनियम १९३६ के प्रावधानों के अन्तर्गत कर सकता है। यह मुआवजा राज्य सरकार के कोष से चुकाया जायेगा।

मनरेगा के माध्यम से आये सामाजिक परिवर्तन :-

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्रियान्वयन से अगर देखा जाये तो समाज के प्रत्येक पहलू पर परिवर्तन देखने को मिलता है कुछ महात्वापूर्ण परिवर्तनों को हम देखने का प्रयास करेंगे। आज मनरेगा के माध्यम से ज

मनरेगा कार्यक्रम/व्यक्तियों सम्बन्धों में परिवर्तन आया है या देखने को मिल रहा है इसमें व्यक्ति के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के सम्बन्ध समाज में दिखाई दे रहे हैं यह अलग बात है कि कौन से सम्बन्ध किस स्तर तक हावी हुये हैं, जिसमें कुछ इस प्रकार विभाजित किया गया है।

सकारात्मक सम्बन्ध :-

निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी योजना मनरेगा का लाभ आज की स्थिति में भारत के आठ करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष लाभ देने वाली योजना है जिससे समाज और व्यक्तियों के बीच के सम्बन्धों में प्रगाढ़ता आई है और एक दूसरे के अच्छे सहयोगी बने हैं जैसे :-

ग्रामीण सम्बन्धों में घनिष्ठता :-

कही प्रभाव हुआ हो या नहीं हुआ हो लेकिन अगर मनरेगा के लागू होने बाद आम आदमी के व्यवहार सम्बन्धों में जो घनिष्ठता हुई वह तो सराहनीय है जहां व्यक्ति अपने आस-पास के व्यक्तियों या पड़ोसियों को अच्छी तरह नहीं पहचानते थे वही मनरेगा की वजह से आज उनके अच्छे सम्बन्ध हैं इसका सबसे अच्छा फायदा यह हुआ कि जहाँ व्यक्ति अपने काम रोजगार की तलाश में सुबह से निकल जाता था और शाम को वापिस आता था और वह व्यक्ति कहां जाता था क्या काम करता था किसी को पता ही नहीं रहता था कही-कही तो व्यक्ति सप्ताह या महीनों से घर नहीं आ पाता था लेकिन मनरेगा ने इन समस्याओं को दूर कर दिया है। अब व्यक्ति अपने घर के आस-पास ही काम करेगा और रोज शाम को घर वापिस आ जाता है लगभग जितने भी व्यक्ति इस योजना में रोजगार पाते हैं वह कही न कही एक दूसरे से जुड़े होते हैं ग्राम पंचायत के अलावा चाहें वह काम करते हों या पोस्ट आफिस या फिर बैंक में एक दूसरे को मिलते और उनके अच्छे सम्बन्ध होते हैं।

पारिवारिक सम्बन्धों में सुधार :-

मनरेगा योजना के माध्यम से जो पारिवारिक सम्बन्धों में सुधार आया उसमें देखा जा सकता है कि पहले कई परिवार सिर्फ पैसे के दूट जाते थे कि व्यक्ति के पास रोजगार का कोई साधन नहीं था अपने पत्नि, बच्चों का खर्च उठाने के लिये यहाँ वहाँ काम करना पड़ता था या फिर काम (रोजगार) की तलाश में घर छोड़कर किसी बड़े-बड़े शहरों की ओर जाना पड़ता था जिससे कि उन परिवार के सम्बन्ध अच्छे नहीं होते थे और कई बार पारिवारिक सम्बन्ध टूट जाते थे लेकिन पहले की अपेक्षा हम देखें तो अब न तो व्यक्ति को रोजगार की तलाश में बाहर जाना पड़ता है और न उसको अपना परिवार चलाने के लिए कठिनाइयाँ होती हैं। इस सबसे मनरेगा का प्रभाव परिवार के सम्बन्धों से भी है।

अपने अधिकारों के प्रति जागरूक :-

मनरेगा के आने से ग्रामीण परिवार का प्रत्येक नागरिक यह जानता है जो मनरेगा का लाभ ले रहा है या लेना चाहता है कि उसका उस योजना से क्या सम्बन्ध है उसे किस प्रकार मनरेगा का लाभ उठाना है और उस लाभ को उठाने के लिये किस स्तर तक उसे अपनी कार्यवाही करनी होगी, क्योंकि मनरेगा का प्रचार प्रसार इतना हो गया है कि जिस व्यक्ति का इस योजना का कोई सम्बन्ध नहीं वह भी इस योजना के बारे में जानता है, जैसे एक व्यक्ति को अपना जॉब कार्ड बनवाना, खाते से पैसा निकालना, यदि वह सब एक आदमी जानता है और जागरूक भी है।

सामाजिक दूरियों में कमी

मनरेगा योजना से समाज के मध्य जो पहले सामाजिक दूरियाँ बनी हुई थी चाहे वह जाति सम्बन्धी हो या वर्ग सम्बन्धी उनमें निम्नतर कमी होती जा रहा है क्योंकि जब एक ग्राम पंचायत या एक समुदाय के लोग जब 900 दिन एक साथ कार्य करेंगे एक साथ रहेंगे और यहां तक की एक साथ खाना-पान करेंगे तो स्वाभाविक है की उनके बीच जो सामाजिक दूरियाँ बनी हुई हैं उसमें कमी होगी।

स्त्री पुरुष में समानता :-

मनरेगा में सबसे अच्छी बात यह है कि स्त्री पुरुष में किसी भी प्रकार का कोई भेद भाव नहीं है चाहे वे मजदूरी का हो या फिर उस मजदूरी भुगतान का इस योजना में जो लाभ एक पुरुष को मिलेगा वही लाभ स्त्री को भी दिया जायेगा जिससे हमारे समाज में स्त्रियों का सम्मान ऊँचा हुआ और उनका मनोबल भी बढ़ा है जिससे आज वह अपने अधिकार के साथ पुरुषों की भाँति एवं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस योजना में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती हैं और इस योजना का पूरा लाभ भी लेती हैं।

आम आदमी और शासकीय कर्मचारियों के बीच सम्बन्ध :-

मनरेगा ने जो आम आदमी और शासकीय कर्मचारियों के बीच सम्बन्ध जोड़ने या उनसे परिचित होने में सरलता प्रदान की है उसने एक आम आदमी और सरकारी कर्मचारी के सम्बन्धों में जो दूरी थी वह समाप्त हो गई जिसका आज प्रभाव एक गाँव के सरकारी व्यक्ति में देखा जा सकता है जो पहले किसी शासकीय कर्मचारी को पहचानता नहीं था वही वह आज सीधी फोन या आमने सामने अपनी समस्या को बताता है और बात भी करता है। इससे न कि गाँव या आम आदमी के अन्दर एक डर समाप्त हुआ है वही दूसरी ओर उसके सम्बन्ध भी अच्छे बने हैं।

नकारात्मक प्रभाव :-

जिस प्रकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से व्यक्ति/समाज के सामाजिक सम्बन्धों में सकारात्मक प्रभाव जमाया है वही दूसरी ओर उसका कहीं न कहीं नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है जैसे-

आर्थिक शोषण :-

सामान्यतः यह देखा जा रहा है कि मनरेगा में ग्रामीण परिवार कार्य करते हैं और स्थानीय स्तर पर कार्य करते हैं परिवार का भी हो सकता है समाज का भी हो सकता है समुदाय एवं सार्वजनिक भी हो सकता है ऐसी स्थिति में व्यक्ति से कार्य तो करवा लिया जाता है परन्तु उसके द्वारा किये गये परिश्रम का उचित मूल्य से वह वंचित रह जाता है, कई बार व्यक्ति से स्थानीय दर पर काम कराया जाता है और सरकारी दर का उसका पैसा निकाल लिया जाता है एवं मनरेगा में कार्य करने वाले मजदूरों को वर्ष में 900 दिन की वजह 50 दिन या और भी कम कार्य करने को मिलता है परन्तु उनके खाते से 900 दिनों की मजदूरी का पैसा निकाल लिया जाता है एवं उससे अगूँठा या हस्ताक्षर भी करवाये जाते हैं लेकिन उससे सामाजिक सम्बन्ध इतने गहरे बना लिये जाते हैं कि वह जानते हुए भी उसको इन्कार नहीं कर पाता और इसी प्रकार समाज के जो शिक्षित या समाज में ऊँचा स्थान रखने वाले लोग उनका शोषण करते रहते हैं।

मनरेगा के प्रति रुचि में कमी :-

शासकीय योजना मनरेगा के प्रति लोगों का रुझान कम हो गया है इसकी वजह यह नहीं कि योजना गलत है परन्तु योजना का लाभ व्यक्ति को पूरा न मिलना एक मात्र कारण है जो पहले भी चर्चा की जा चुकी है व्यक्ति जब अपने अधिकारों को जानते हुए उनसे वंचित रहता है तो उसका मन अपने आप उस क्षेत्र से हटने लगता है चाहे वह कोई शासकीय योजना हो या व्यक्ति हो इस तरह की अनेक ऐसी समस्याएँ मनरेगा में आज भी मौजूद हैं जो व्यक्ति को उससे दूर कर रही हैं। दैनिक समाचारों में माध्यम से यह देखने को मिलता है कि मनरेगा में क्रियान्वयन में इतनी सावधानी एवं नियम होने के बाद भी लाखों रूपयों का घोटाला फर्जी जॉब कार्ड बनाना और मजदूरों को समय पर मजदूरी न मिलना एक दूसरे के नाम पर कार्य करवाना इन सबसे व्यक्ति के मन में अनेक तरह के प्रश्न पैदा करता है और फिर वह अपने आप को इससे दूर समझने लगता है

समान मजदूरी:-

मनरेगा में समान मजदूरी भी एक नकारात्मक तरीके से व्यक्ति के मन में प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि हमारे भारतीय समाज में पहले से ही कार्य को विभाजित कर दिया गया और उसका मूल्य भी अलग रखा गया है, जिससे व्यक्ति में मन में आज वही भाव बनी हुई है कि जो जैसा कार्य करेगा उसी प्रकार का उसे पैसा मिलना चाहिए, जैसे कोई मकान बनाने वाले मिस्त्री को अन्य मजदूरों की अपेक्षा अधिक मजदूरी का भुगतान किया जायेगा, और मिलता भी है लेकिन मनरेगा में ऐसा नहीं है उसे समान रूप से मजदूरी का भुगतान किया जायेगा, इस स्थिति में व्यक्ति सोचने लगता है और इस योजना से अलग कार्य करना चाहता है।

मजदूरी भुगतान में देरी :-

मनरेगा में मजदूरी का भुगतान में समय लगता है, लेकिन कई ग्रामीण परिवार आज भी ऐसे हैं जिन्हें अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए प्रति दिन तो नहीं परन्तु सप्ताह में उनको हरहाल में अपनी मजदूरी का पैसा चाहिए तभी उनके उपयोगी कार्य पूर्ति होगी। मनरेगा में मजदूरी का भुगतान करने के लिए 95 दिन का प्रावधान जरूर है लेकिन कई बार एक माह से भी ज्यादा समय लग जाता है, जिससे आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ता है, ऐसी स्थिति में वह अगर किसी गांव के साहूकार व्यक्ति से कर्ज लेता है तो उसको चुकाने के लिये उसे दो विकल्प होते हैं एक तो उसकी रकम वह ब्याज सहित वापिस करे या फिर उस यहाँ मजदूरी करें तब तक जब तक उसका कर्ज नहीं चुक जाता।

सुझाव :-

- मनरेगा में मजदूरी के भुगतान प्रक्रिया को और सरल बनाने की जरूरत है जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अपने दैनिक उपयोगी वस्तुएं खरीद सकें। और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें जिससे उसका लगाव मनरेगा के प्रति बढ़ेगा।
- मनरेगा में एक वित्तीय वर्ष में 900 दिन का रोजगार एक परिवार में बहुत कम है क्योंकि जिस परिवार में पौंच वयस्क सदस्य उनके हिसाब से एक सदस्य को सिर्फ 20 दिन ही एक वर्ष में रोजगार मिल पायेगा। अतः रोजगार के दिनों की संख्या को बढ़ाना चाहिये।
- इस पूरी योजना में महिलाओं एवं विकलांगों के लिये अलग से कोई आरक्षण प्रक्रिया नहीं है जिससे महिलाएं अभी भी योजना में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने से पीछे हैं।
- मनरेगा में ग्रामीण क्षेत्र की जनता को लेकर ए.पी.एल., बी.पी.एल. एवं अन्य कार्ड धारियों को लेकर कहीं चर्चा या विवेकपूर्ण सुविधा का कहीं प्रावधान नहीं है जिससे उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। बी.पी.एल कार्ड धारियों को एवं ए.वाय कार्ड धारियों परिवारों को विशेष रोजगार के अवसर प्रदान करने की जरूरत है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मार्गदर्शिका
2. २००२ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम २००५
3. सुबे ग्यामा चरण - विकास का समाज शास्त्र, वाणी प्रकाशन बर्धमान ऑफसेट दिल्ली
4. सुबे रवीन्द्र नाथ - भारतीय समाज व संस्कृति
5. समित बो. कर - समाजशास्त्र सामाजिक अन्तःक्रियाओं का अध्ययन
6. गुप्ता मोतीलाल - भारत में समाज
7. रावकिशोर-२००६ नैतिकता के नये सवाल वाणी प्रकाशन नई दिल्ली
8. Malhotra K.L. Facets of vigilance malhotra publications delhi 1988
9. www.upvan.org/d_nrega.htm
10. <http://www.arghyam.org/node/15>
11. http://www.indg.in/agriculture/rural-employment-schemes/nergs/copy_of_nrega
12. www.nrega.net/pin/reports-and-resources/reports.../CIFE.pdf 5



रविदास अहिरवार

शोधार्थी, समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग,
डॉ. हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय सागर (म.प्र.)